न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:- हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—159/2019 दायर दिनांक 21.11.2019

जीसीएमएस आई0डी0:—2019/00351

1. कृष्णा देवी पत्नि गोविन्द सिंह उम्र 63 साल
2. हरदीप पुत्र 31 साल } पिसरान गोविन्द
3. शिवलता उम्र 40 साल }
4. अमन } पिसरान कुलदीप पुत्र गोविन्द सिंह
5. सुरजीत }
6. हरजीत }
7. मु0 ममता }
8. मु0 कमला उर्फ कमलेश पुत्री किशन सिंह
9. सुशीला पुत्री किशन सिंह
10. शिम्भु सिंह पुत्र किशन सिंह
11. अजय सिंह उम्र 30 साल } पिसरान विष्णु पुत्र किशन सिंह
12. जीतेश उम्र 26 साल }
13. रीना उम्र 28 साल }
14. विमलेश उम्र 50 साल पत्नि विष्णु

} जाति राजपुत निवासी नरसिंहपुरा तहसील हिण्डोन जिला करौली

——सायलान—14

बनाम

1. भगवान सिंह उम्र 60 साल पुत्र भोरया
2. प्रहलाद उम्र 28 साल } पिसरान भगवान सिंह
3. गोपाल उम्र 30 साल }
4. प्रकाश उर्फ गोला उम्र 55 साल पुत्र भोरया

} जाति गुर्जर नि0 नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री रामखिलाडी सैनी गैरसायलान

निर्णय दिनांक:— २२-५-२०२५

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 729 रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील हिण्डौन सायलान को उनके बुजुर्ग नारायण सिंह से विरासत में प्राप्त हुई। नारायण सिंह की मृतक बाद उक्त आराजी किशनसिंह के [illegible] किशन सिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण सायलान के नाम तब्दील तस्दीक किया गया इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by:Hemraj Gujar
Date: 2025.07.01 19:00:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में सायलान उक्त आराजी के विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार है। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का या गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 13.11.2019 को सायलान अपनी आराजीयात में अगली फसल की तैयारी कर रहे थे, कि गैरसायल स0 1, 2 व 4 एक राय होकर आये एवं कहने लगे कि इस जमीन को हमने किशनसिंह से खरीद कर लिया है। इसलिये अब तुमसे काश्त नहीं कर सकते। जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया, कि भाईयों इस जमीन की खातेदारी हमारे नाम है। हम ही इसे काश्त करते है। तुम इसे मृतक किशन सिंह से केसे खरीद कर सकते हो। जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये। एवं सायलान का आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने लगे। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया। मगर वे किसी की एकमानने को तैयार नहीं है। एवं सायलान की आराजी पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे, कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 729 रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त सायलान में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान की आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं करे। आराजी की कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। दौराने दावा यदि गैरसायलान सायलान की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेते है। तो उक्त आराजी का कब्जा सायलान को जरिये पुलिस दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान न0 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 13.12.2019 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान 1 ता 3 की ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:47 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में दर्ज सायलान द्वारा न्यायालय हाजा में दावा पेश करना स्वीकार है, परंतु उक्त दावा हाजा में सायलान को कोई भी सफलता किसी भी प्रकार की नहीं मिल सकेगी।

2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 में दर्ज खसरा न0 729 रकबा 1.26 है0 स्थित नरसिंहपुरा नवसृजित ग्राम तहसील हिण्डौन का होना तो स्वीकार है, परन्तु उक्त मद में सायलान के बुजुर्ग नारायणसिंह से विरासत में प्राप्त होना बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह कि उक्त विवादित भूमि किशनसिंह को अलोटमेंट हुई थी, और राजस्व रिकॉर्ड में किशनसिंह ही गैर–खातेदार है, और किशनसिंह ने अलोटमेंट के बाद दिनांक 17.09.2004 को उक्त भूमि को गैरसायलान न0 1 को रामखिलाडी पुत्र मांग्या जाटव, श्रीचंद पुत्र चिम्मन जाटव, निवासी–करसौली व मोहनलाल डागुर निवासी करवाडी जट्ट व अन्य गांव के लोगो के समक्ष बिल एवेज मुवलिग 375000/– रू0 में विक्रय कर दिया गया, और वर्तमान में गैरसायलान का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है एवं सायलान का उक्त भूमि में कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, और गैरसायलान ने ही वर्तमान में उक्त भूमि में फसल गेहूं काश्त की है। जो मौके पर खडी हुई है। सायालन का मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र टी0 आई0 काबिले खारिज योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 कतई गलत व मिथ्या होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि दिनांक 13.11.2019 को व अन्य किसी भी दिन व दिनांक को सायलान व गैरसायलान के मध्य उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई कहा–सूनी या बातचीत व विवाद नहीं हुआ। उक्त मद में वर्णित समस्त तथ्य मनगंढत व झूंठे है। स्वीकार नहीं है। सायलान व गैरसायलान के मध्य जब किसी भी प्रकार की कोई कहा सुनी नहीं हुई, तो वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ, के कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा काबिले खारिज योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित भूमि पर क्रय के पूर्व समय से ही गैरसायलान का कब्जा चला आ रहा है। सायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इसलिये गैरसायलान को पाबंद करने में गैरसायलान को काफी अपूर्तनीय क्षति होगी। सायालान को कोई भी क्षति नही होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:47 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि उक्त विवादित भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में बाखूबी साबित है।
6. प्रार्थना पत्र मे वर्णित रिलीफ, व अन्य किसी भी प्रकार की रिलीफ सायलान प्राप्त करने के हकदार नहीं है, क्योंकि सायालान के बुर्जग किशनसिंह उक्त भूमि का बेचान गैरसायलान के पक्ष मे कर कब्जा गैरसायालान सुपुर्द कर गये।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2068–71 खाता संख्या 100 वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन एवं गैरसायलान द्वारा प्रतिज्ञा पत्र 100 रूपये के नॉन जॉडिश्यल शपथ पत्र दिनांक 17.09.2004 की प्रति, नकल जमाबंदी 2068–71 खाता संख्या 100 वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन की प्रति पेश किये।

प्रकरण में सायलान वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को दौराने दावा आराजी खसरा न0 729 रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त सायलान में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान की आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं करे। आराजी की कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2068–71 खाता संख्या 100 वाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को किये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:47 IST
Reason: SelfAttested

दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक २२-५-२०२५ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:47 IST
Reason: SelfAttested